भीम

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड,जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ऑफिसः द्वितीय तल, पुराना महिला हॉस्टल, पुलिस मुख्यालय के पास, लालकोठी, जयपुर-302015

दूरभाषः 0141-2744562, 2744776 ●Website: transport.rajasthan.gov.in/jctsl ●Email: jctsl.bus@gmail.com

क्रमांकः जेसीटीएसएल/प्रनि/याता/डी- 903 दिनांकः 05/ 07 / 2024

कार्यालय आदेश

जेसीटीएसएल आदेश क्रमांक डी-3665 दि. 29.09.2020 द्वारा राज्य सरकार से प्रदत्त निर्देशों/अनुमोदन की अनुपालना में विद्यार्थियों को जेसीटीएसएल द्वारा संचालित नॉन-एसी श्रेणी की नगरीय एवं उपनगरीय मार्गो की बसों में यात्रा करने पर निर्धारित यात्री किराये में 50 प्रतिशत रियायत देते हुये किराया राशि निर्धारित की गई है।

अतः विद्यार्थी रियायत के संबंध में पूर्व जारी आदेशों की निरन्तरता में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः-

1. उक्त विद्यार्थी रियायत जेसीटीएसएल द्वारा संचालित नॉन-एसी बसों में ही देय होगी।
2. जेसीटीएसएल बसों में विद्यार्थी रियायत जयपुर शहरी क्षेत्र/जेडीए क्षेत्र एवं पैरिफेरी एरिया में स्थित स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालयों के नियमित छात्रों को ही देय होगी।
3. विद्यार्थी के जयपुर में स्थित निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक 75 कि.मी की परिधि में ही उक्त रियायत देय होगी।
4. पात्र विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थान से जारी परिचय पत्र अथवा जेसीटीएसएल स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड के आधार पर ही उक्त विद्यार्थी रियायत देय होगी।
5. विद्यार्थी रियायत हेतु शैक्षणिक सत्र संबंधित संस्थान के शैक्षणिक सत्र अनुसार मान्य होगा।
6. स्वयंपाठी छात्र एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम में अध्ययनरत विद्यार्थी उक्त रियायत हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. कोचिंग संस्थान/प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग संस्थानों के छात्र आई.डी. कार्ड के आधार पर विद्यार्थी रियायत देय नहीं होगी लेकिन इन्हीं संस्थानों के छात्र यदि किसी स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के नियमित छात्र है, तो संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर विद्यार्थी रियायत देय होगी।
8. विद्यार्थी को उक्त रियायत शिक्षण संस्थान से निवास स्थान एवं निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक की यात्रा हेतु ही देय होगी।
9. रियायती यात्रा हेतु वैध स्मार्ट कार्ड अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा जारी विद्यार्थी परिचय पत्र ड्यूटी परिचालक को भौतिक रुप से दिखाये जाने के पश्चात् ही रियायती यात्रा टिकिट जारी किया जावेगा। विद्यार्थी रियायत टिकिट ऑप्शन मोबाइल टिकिट बुकिंग हेतु निष्क्रिय रहेगा।

5.7.2024

प्रबन्ध निदेशक
जेसीटीएसएल,जयपुर

क्रमांकः जेसीटीएसएल/प्रनि/याता/डी- 903	दिनांकः 05/ 07 / 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव,श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव,स्वायत्त शासन विभाग,राज.सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव,अध्यक्ष महोदय,जेसीटीएसएल,जयपुर।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी,जेसीटीएसएल,जयपुर।
4. आगार प्रबंधक,टोडी/बगराना आगार,जेसीटीएसएल,जयपुर।
5. समस्त उडनदस्ता प्रभारी,जेसीटीएसएल।
6. प्रभारी,आईटीएमएस/स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड,मुख्यालय,जेसीटीएसएल,जयपुर।
7. प्रबंधक, मै. ऑमनीफिशियेण्ट टैक्नो. प्रा. लि. को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त की पालना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड

विशेषाधिकारी
जेसीटीएसएल,जयपुर